रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 583] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2018/माघ 24, 1939
No. 583] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2018/MAGHA 24, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2018

का.आ. 663(अ).— यतः मै. महाराश्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमआईडीसी), ने महाराष्ट्र राज्य के एमआईडीसी, जिला लातूर मे कृशि प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित एवं अनधिसूचित किया जिनका विवरण इस प्रकार है;

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र हेक्टेयर में	अनधिसूचित क्षेत्र हेक्टेयर में	कुल योग हेक्टेयर में
(i)	का.आ. 39 (अ)	15.01.2007	200	–	200
(ii)	का.आ. 253 (अ)	03.02.2010	–	61	139

और, यतः मै. महाराश्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमआईडीसी) ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 139 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः महाराष्ट्र सरकार ने उनके पत्र सं. एसईजेड–2005/सीआर–1074/2014/आईएनडी–2 दिनांक 18 मई 2017 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण प्त्र दे दिया है;

और यतः विकास आयुक्त, सीप्ज विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 139 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः इसलिए केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ-2/131/2005-एस ई जेड]

सुनील कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2018

S.O. 663(E).— Whereas, M/s. Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Sector Specific Special Economic Zone for Agro Processing at MIDC, District Latur in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified and de-notified the following areas at above Special Economic Zone as per details given below:-

S.No.	Notification No.	Date	Notified Area in Hectares	De-notified Area in Hectares	Total Area in Hectares
(i)	S.O. 39 (E)	15.01.2007	200	-	200
(ii)	S.O. 253 (E)	03.02.2010	-	61	139

AND, WHEREAS, M/s. Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) has now proposed to de-notify the entire area of 139 hectares area of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Maharashtra has given its "No objection" to the proposal vide letter No. SEZ-2005/CR-1074/Ind-2 dated 18.05.2017;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of the entire area of 139 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F-2/131/2005-SEZ]

SUNIL KUMAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.02.15 15:51:37 +05'30'